भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-687
दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

भूमिगत केबल नेटवर्क परियोजना की स्थिति

687. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर हुदहुद चक्रवात से हुई तबाही के उपरांत एपीईपीडीसीएल द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से विकसित की जा रही भूमिगत केबल नेटवर्क परियोजना और इसमें शामिल किए जा रहे क्षेत्रों का ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है और इसमें हुए विलंब, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) एपीईपीडीसीएल द्वारा नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कार्यान्वित की जा रही भूमिगत केबल प्रणाली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक जिले में बिछाई जा रही केबलों की कुल लंबाई कितनी है तथा इसमें कौन से विशिष्ट क्षेत्र शामिल किए गए हैं; और

(घ) आरडीएसएस के अंतर्गत भूमिगत केबल प्रणाली परियोजना को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है और निर्माण में हुए विलंब, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) ने सूचित किया है कि विशाखापत्तनम शहर में समुद्र तट के पास के इलाकों में आंध्र प्रदेश डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (एपीडीआरपी) के तहत विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 33 केवी, 11 केवी और एलटी ओवरहेड नेटवर्क के लिए 664 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत केबलिंग का काम किया गया है। किए गए कार्यों और कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : एपीईपीडीसीएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार**,** सभी पैकेज दिनांक 12.03.2023 तक पूरे हो गए थे। मूल अनुबंध अवधि प्रभावी तिथि से 18 महीने थी और जिसे अनुबंध एजेंसियों के अनुरोध पर दिनांक 12.03.2023 तक समय-समय पर बढ़ाया गया। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

- कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन

- सामग्री खरीद में देरी
- आवश्यक दक्ष श्रमिकों की अनुपलब्धता

(ग) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में आपदा-रोधी अवसंरचना के निर्माण के लिए एपीईपीडीसीएल के लिए 1,166 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत केबल कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। जिलेवार संस्वीकृत ब्यौरा इस प्रकार हैं:

जिले (पुराने)	33 केवी की लंबाई (सीकेएम)	11 केवी की लंबाई (सीकेएम)
श्रीकाकुलम	82	309
विशाखापत्तनम	178	1740
राजमहेंद्रवरम	-	6
एलुर	3	8

एपीईपीडीसीएल ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, सड़क काटने के कार्य के लिए जीवीएमसी, एनएचएआई और अन्य सार्वजनिक यूटिलिटि से अनुमोदन लिया जा रहा है और सामग्री की खरीद वर्तमान में प्रगति पर है।

(घ) : आरडीएसएस की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 31.03.2026 तक संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने की उम्मीद है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 687

अनुबंध

भूमिगत केबलिंग (यूजी) कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	यूओएम	कुल कमीशन
33 केवी यूजी केबल	किमी	118.9
11 केवी यूजी केबल	किमी	300.54
एलटी यूजी केबल	किमी	971.18
33 केवी रिंग मेन यूनिट	सं.	9
11 केवी रिंग मेन यूनिट	सं.	650
1000 केवीए कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन	सं.	24
500 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर	सं.	543
315 केवीए वितरण ट्रांसफॉर्मर	किमी	419

पैकेज के अनुसार कवर किया गया क्षेत्र है:

पैकेट-I	पैकेट-2	पैकेट-3	पैकेट-4
एमवीपी कॉलोनी	पांडुरंगपुरम	कोठारोड	सागर नगर
पेडावाल्टेयर	आरके बीच	पोर्ट	रुशिकोंडा
केजीएच	रामनगर	पुलिस बैरक	आदिबतला नगर
आरसीडी अस्पताल	विद्युत सखा	आउटर हार्बर	येनादादा
सिरिपुरम	टीएसआर कॉम्प्लेक्स	वेंकटेश्वरमेट्टा	
शिवाजी पार्क	डोंडापार्थी इंडोर	चित्रालय	
	सीएमआर इंडोर, मदिलापलेम	कीज़ (सरस्वती पार्क)	

****